प्राक्कथन

मई 2012 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 7ए प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक रूप से समीक्षा, जैसा अपेक्षित है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंप सकती है तथा इस समीक्षा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। एफआरबीएम नियमावली 2004 का एक संशोधन 31 अक्तूबर 2015 में अधिसूचित किया गया था। एफआरबीएम (संशोधित) नियमावली का नियम 8 प्रावधान करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसके तहत निर्मित नियमावली के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करेंगे, यह वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होगी तथा प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसके तहत निर्मित नियमावली के अनुपालन की समीक्षा से संबंधित भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक का यह दूसरा प्रतिवेदन है।

इस प्रतिवेदन में अधिनियम में प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं जो 2015-16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। 2015-16 से पूर्व तथा बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां कहीं आवश्यक है, शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न किया गया है।